अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ,

जिला शाखा -बलौदाबाजार -भाटापारा (छ.ग.), जिला न्यायालय परिसर , बलौदाबाजार (छ.ग.)

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक -Q/कैंटीन/2025 बलौदाबाजार दिनांक -18/02/2025

छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा-बलौदाबाजार की ओर से जिला न्यायालय, परिसर बलौदाबाजार में कैंटीन के संचालन हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है । निविदा प्रपत्र अनुसंलग्न - 1 जो जिला न्यायालय के वेबसाईट **balodabazar.dcourts.gov.in** में अपलोड किया गया है तथा न्यायायलय परिसर के नोटिस बोर्ड में चस्पा किया गया है । उक्त सूचना अपलोड किये जाने /नोटिस बोर्ड में चस्पा किये जाने के 7 दिवस के भीतर अर्थात दिनांक 26/02/2025 तक कार्यालयीन दिवस में आवेदन जमा किया जाना अनिवार्य है । इस हेतु कर्मचारी कार्यालय जिला न्यायालय, परिसर बलौदाबाजार से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं अथवा वेबसाईट में अपलोड प्रपत्र का प्रिंट लेकर आवेदन किया जा सकता हैं ।

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	26/02 /2025 समय शाम 05.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	01 /03 /2025 समय शाम 05.00 बजे तक
निविदा स्थान	कर्मचारी कार्यालय, जिला न्यायालय परिसर, बलौदाबाजार (छ.ग.)
संपर्क नंबर-	8458987223, 9977507550

सही/-

गुलाब चंद घृतलहरे

(अध्यक्ष)

छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ,

जिला शाखा-बलौदाबाजार (छ.ग.)

दिनांक-18/02/2025

स्थान-बलौदाबाजार

18/2/25

(सचिव)

छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ,

जिला शाखा-बलौदाबाजार (छ.ग.)

संलग्नः-

1.नियम व शर्तें ।

2.आवेदन फार्म ।

3.घोषणा-पत्र ।

अनुसंलग्न–1 (नियम व शर्तें)

1. आमंत्रित किए गए निविदा को किसी भी समय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महोदय द्वारा बिना कोई पूर्व सूचना दिये निरस्त या परिवर्तित अथवा कैंटीन चलाने का अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा ।
2. निविदा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि दिनांक 26/02/2025 के शाम 05.00 बजे तक है ।
3. निविदा को नीचे दिये गये पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है अथवा कार्यालय में रखे पेटी/ड्राप बॉक्स में डाल सकते हैं । पता:– **कार्यालय–अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा – बलौदाबाजार – भाटापारा (छ.ग.)** यथा निर्धारित कार्यालय में जमा किया जायेगा ।
4. सभी निविदाएं वेबसाईट में अपलोड/कार्यालय में चस्पा/समाचार पत्र में प्रकाशित अंतिम तिथि के शाम 5:00 बजे तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है । समयसीमा के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा ।
5. आवेदक यदि कैंटीन संचालन, कुक या इससे संबंधित कोई भी अनुभव रखते हैं, तो संबंधित दस्तावेज प्रेषित आवेदन के साथ संलग्न की जा सकती है ।
6. आवेदक को आवेदन के साथ अपना आधार कार्ड/परिचय पत्र संलग्न करना अनिवार्य है तथा आवेदक अपना वर्तमान पत्र व्यवहार के साथ में अपना स्थाई पता भी दर्ज करना होगा । स्थानीय व अनुभवी आवेदक सक्षम बोलीकर्ता हो, तो प्राथमिकता दी जा सकती है ।
7. आवेदक पर यदि कोई अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ हो अथवा कोई दांडिक मामला विचाराधीन हो, तो उसकी जानकारी प्रदान आवश्यक है ।
8. कैंटीन के संचालन हेतु प्राप्त निविदा, निविदा जमा करने की अंतिम तिथि की समाप्ति पर आगामी निर्धारित तिथि पर संघ के अध्यक्ष एवं नियम 2017 के अंतर्गत गठित संचालन समिति के अध्यक्ष के समक्ष व सभी निविदाकर्ता की उपस्थिति में अथवा उनकी ओर से उपस्थित अभिकर्ता की उपस्थिति में निविदा खोली जायेगी ।
9. सभी निविदा खोलने के बाद जो भी आवदेक सभी मानदंडो के अनुरूप सफल बोलीकर्ता/निविदाकर्ता होगा, उसे संचालन समिति के अनुमोदन उपरांत उसकी घोषणा पृथक से किया जायेगा , उसका आवेदन स्वीकार किया जायेगा व उसे कैंटीन संचालन का अधिकार अनुबंध पत्र के अध्याधिन प्रदान किया जायेगा ।
10. शेष आवेदकों के द्वारा जमा किया गया अग्रिम राशि यथासंभव 07 कार्य–दिवस के अंदर वापस कर दिया जायेगा, जिसकी प्राप्ति अभिस्वीकृति उनसे ली जायेगी ।
11. जिस आवेदक की बोली स्वीकार की जायेगी उसे बोली की राशि का शेष 75% सात

कार्य–दिवस के भीतर नगद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा–बलौदाबाजार–भाटापारा छ.ग. के नाम पर जमा करना होगा । असफल रहने की दशा में आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन के साथ जमा की गयी अग्रिम राशि को राजसात कर लिया जायेगा । सफल बोलीकर्ता को बोली की संपूर्ण राशि जमा करने के उपरांत ही कैंटीन को चलाने हेतु अधिकृत किया जायेगा ।

12. कैंटीन में विक्रय की जाने वाली खाद्य वस्तु का मूल्य बाजार मूल्य से अधिक नहीं हो और यथासंभव बाजार मूल्य से कम रहे । खाने योग्य डिब्बा बंद व पैकेट सामाग्री यथासंभव M.R.P. से कम दर पर विक्रय की जाये; किसी भी परिस्थिति में कोई भी सामाग्री M.R.P. से अधिक दर पर विक्रय नहीं की जायेगी । खाद्य पदार्थों एवं पेय पदार्थों के संबंध में स्वच्छता के मानकों को पालन करने की जिम्मेदारी कैंटीन संचालक की होगी । कैंटीन संचालक को कैंटीन स्वच्छता व साफ–सफाई का पर्याप्त ध्यान रखना आवश्यक है ।

13. कैंटीन संचालक को अपने कर्मचारियों को साफ वर्दी उपलब्ध कराना होगा ।

14. कैंटीन संचालक के द्वारा विद्युत बिल, पानी का बिल व अन्य मेन्टेनेंस हेतु देय राशि अदा करना होगा ।

15. कैंटीन संचालक द्वारा <u>**दो माह का किराया अग्रिम तौर**</u> पर कर्मचारी संघ के पास जमा करना होगा । उक्त राशि अमानत के तौर पर कर्मचारी संघ में जमा रहेगी , संचालक के द्वारा बिना कोई सूचना के कैंटीन का संचालन बंद किये जाने की स्थिति में अमानत की राशि वापसी योग्य नहीं होगी ।

16. मासिक किराये की दर प्रतिवर्ष तक प्रचलित होगा, इसके एक वर्ष बाद किराया कैंटीन की निविदा राशि का 5% प्रतिवर्ष बढ़ाया जायेगा । कैंटीन संचालक को मासिक किराया हर माह की 10 तारीख तक कोषाध्यक्ष न्यायिक कर्मचारी कल्याण समिति के पास जमा करना होगा । मासिक किराया जमा करने में असफल रहने की दशा में कैंटीन संचालक को नोटिस देते हुए कैंटीन संचालन का अनुबंध पत्र समाप्त किया जा सकेगा ।

17. कैंटीन प्रत्येक न्यायालयीन कार्यदिवस व समय पर संचालित किया जायेगा तथा बिना कोई पूर्व सूचना के 7 दिवस तक लगातार संचालक कैंटीन को बंद रखता है तथा नियमों का पालन करने में असफल रहता है, तो गठित समिति द्वारा कैंटीन संचालक के अनुबंध को समाप्त किया जावेगा तथा जमा अग्रिम किराया राजसात किया जा सकेगा ।

18. कैंटीन संचालन के अनुबंध की अवधि अनुबंध प्रारंभ होने की पहली तारीख से एक वर्ष की होगी । अनुबंध की अवधि संघ के अध्यक्ष द्वारा माननीय प्रधान न्यायाधीश/समिति के पूर्व अनुमोदन से वार्षिक आधार पर बढ़ाई जा सकेगी ।

19. कैंटीन संचालक किसी भी समय 45 दिन पूर्व नोटिस देकर कैंटीन संचालन के अनुबंध

को रद्द कर सकता है । ऐसी स्थिति में 45 दिन की अवधि समाप्त होने पर कैंटीन संचालक को अग्रिम राशि , यदि कोई हो, वापस कर दी जायेगी ।

20. किसी भी विवाद की स्थिति में माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश के अनुमोदन के पश्चात समिति का निर्णय इस शर्त के अधीन अंतिम होगा कि प्रधान जिला न्यायाधीश मामले को रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से उच्च न्यायालय को संदर्भित करेंगे और माननीय उच्च न्यायालय उसका अनुमोदन करेगा ।

21. कैंटीन संचालक के द्वारा खाद्य की गुणवत्ता (खाद्य विभाग द्वारा निर्धारित) का ध्यान रखा जाएगा ।

22. निविदा एक बंद लिफाफे में होगा, लिफाफे के बाहर-अंदर रखे दस्तावेज का विवरण अभिलिखित किया जाना होगा तथा घोषणा पत्र भी देना होगा ।

23. निविदाएं जो निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त होंगे उन्हें खोला नहीं जायेगा और वापस कर दिया जायेगा । ऐसी निविदाओं को वापस किये जाने का दिन एवं समय की जानकारी मोहरबंद लिफाफे में उल्लेखित होगी ।

24. निविदाकर्ता यदि फर्म है, तो अपना पूर्ण पता उल्लेखित करना होगा ।

25. कैंटीन की **न्यूनतम बोली मासिक राशि 2000/-रूपये** संघ के द्वारा निर्धारित की गयी है ।

26. आवेदक के द्वारा निविदा की बोली गई राशि का 25 प्रतिशत राशि डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक द्वारा जो कि "**अध्यक्ष, न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा-बलौदाबाजार- भाटापारा(छ.ग.)**" के नाम पर देय होगा और साथ ही निविदा खुलने के बाद सफल निविदाकर्ता को छोड़कर शेष सभी निविदाकर्ता को निविदा की राशि जल्द से जल्द वापस कर दी जायेगी।

सही

अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ न्यायिक कमचांरी संघ,

जिला शाखा-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

[signature] 18/2/25

सचिव

छत्तीसगढ़ न्यायिक कमर्चारी संघ,

जिला शाखा-बलौदाबाजार (छ.ग.)

निविदा हेतु आवेदन फार्म

1. अनुमति के लिए आवेदन
   कैंटीन चलाने हेतु – जिला न्यायालय, परिसर बलौदाबाजार में

2. आवेदक का नाम – ---------------------

3. आवेदक का पूरा पता – ---------------------

   ----

4. पहचान प्रमाण पत्र – ---------------------

5. निविदा/ठेके की बोली राशि – ---------------------

मासिक लाईसेंस शुल्क एवं किराया

कृपया आवेदन के साथ निविदा की 25 प्रतिशत राशि डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक द्वारा जो कि " अध्यक्ष न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) के नाम पर देय होगा और साथ ही निविदा खुलने के बाद सफल निविदाकर्ता को छोड़कर शेष सभी निविदाकर्ता को निविदा की राशि जल्द से जल्द वापस कर दी जायेगी।

6. डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक कमांक और दिनांक – ---------------------

7. जारी कर्ता बैंक का नाम एवं शाखा – ---------------------

8. निविदाकर्ता के द्वारा सभी कालम यथावत एवं साफ तरीके से भरे जाने होंगे अगर कोई भी कमी आवेदन में पाई गयी तो उक्त आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। निविदाकर्ता के द्वारा अपना स्वप्रमाणित पहचान पत्र साथ ही निविदा की राशि की डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक, जैसा कि उपरोक्तानुसार सरल कमांक 06 एवं 07 में उलेखित किया गया है संलग्न करना होगा यदि किसी भी प्रकार की कोई कमी पाई गयी तो उक्त निविदा निरस्त कर दिया जायेगा।

//घोषणा-पत्र //

मैं .... पिता/पति .... उम्र .... वर्ष

वर्तमान पता– ....

....

स्थाई पता– ....

....

एतद सभी उत्तरदायित्व लेता/लेती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त जानकारी जो निविदा में एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों में दी जा रही है, सत्य है और मैं हर परिस्थितियों में कैंटीन चलाने हेतु उल्लेखित (जो भी लागू हो) सभी नियमों का पालन करूंगा/करूंगी एवं किसी भी बिन्दू पर अगर यह देखा गया कि मेरे द्वारा कोई गलत जानकारी या उपरोक्त नियमों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन या नियमों से संबंधित किसी तथ्य को हटाया गया तो मेरे अनुबंध को बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जावे ।

हस्ताक्षर ....

नाम..